लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/आई.टी./20–21/149/ 122 भोपाल, दिनांक 10.12.2021

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय :– संविदा सहायक ग्रेड–3/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स के पद विरूद्ध आउटसोर्स पर कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की सेवाएं लिये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्रमांक योजना/पद स्वी./पीए/2017–18/25 दिनांक 25.01.2018 एवं पत्र क्रमांक आई.टी./पद स्वीकृति/2018/51 दिनांक 10.05.2018

उपरोक्त विषयांतर्गत संचालनालय द्वारा जारी संदर्भित पत्रों को अधिक्रमित करते हुए वर्ष 2012–13 से अद्यतन शासकीय माध्यमिक विद्यालय से शा.हाई स्कूल/ शा. हायर सेकेण्डरी में उन्नत विद्यालयों एवं मॉडल स्कूलों में स्वीकृत संविदा सहायक ग्रेड–3/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स के पदो पर आउटसोर्स पर रखे जाने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की सेवाओं के संबंध में निम्नानुसार नवीन निर्देश जारी किये जाते है :–

1. म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 2–1/2020/नियम/चार दिनांक 23.07.2021 के द्वारा म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशियल पावर्स 1995 भाग 2 में नवीन प्रत्यायोजित पावर्स के सरल क्रमांक 36 की सक्षमता के आधार पर यह कार्य एम.पी.कॉन को आगामी एक वर्ष अथवा अगले आदेश तक के लिये प्रदाय किया गया है।
2. इस संबंध में वर्तमान में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत सहायक ग्रेड–3/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स से संबंधित अनुबंध दिनांक 15.12.2021 तक आवश्यक रूप से निरस्त किये जायें तथा इन सहायक ग्रेड–3/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स की सेवाएं दिनांक 31.12.2021 तक ही ली जाए तथा कार्यरत डाटा ऑपरेटर्स के लंबित राशि का भुगतान विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों / आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक ही किया जाये।
3. जिला स्तर पर संविदा सहायक ग्रेड–3/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों के विरूद्ध ही कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवायें एम.पी.कॉन के माध्यम से आउटसोर्स पर नियमानुसार रखी जायें। किसी भी हालत में स्वीकृत पदों से अधिक सहायक ग्रेड–3/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर न रखे जाये।
4. संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रति माह मैनपावर की उपस्थिति के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान हेतु उपस्थिति पत्रक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को ऑनलाईन मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाए। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले की जानकारी को एकीकृत कर एम.पी.कॉन लिमिटेड की मेल आई.डी. mpconsm@yahoo.com पर भेजे जायें। एम.पी.कॉन लिमिटेड द्वारा तदनुसार देयक तैयार कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा,

जिसके आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एम.पी.कॉन को भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। एम.पी.कॉन द्वारा देयकों के भुगतान प्राप्त होने के 7 दिवस की समय अवधि में संबंधित मैनपावर को मानदेय का भुगतान एवं अन्य वैधानिक दायित्वों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। शासकीय प्रक्रिया में कोषालयों द्वारा वेतन देयक प्रत्येक माह की 22 तारीख से प्राप्त किये जाते है। अतः संबंधित प्राचार्य द्वारा मैनपावर की उस माह की उपस्थिति उस माह की 22 तारीख को जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करा दी जाये ताकि मैनपावर का वेतन भुगतान समय पर किया जा सके। किसी भी हालत में मैनपावर के गत माह के पारिश्रमिक का भुगतान आगामी माह की 05 तारीख तक कर दिया जायें।

5. संचालनालय द्वारा संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को उनकी माँग के अनुसार आबंटन उपलब्ध कराया जाएगा। जनवरी माह में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के पास इस मद में उपलब्ध राशि से आउटसोर्स पर रखे जाने वाले संविदा सहायक ग्रेड–3/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स का भुगतान किया जाये।
6. उक्त समस्त कार्यवाही संलग्न अनुबंध अनुसार संपादित की जायेंगी।
7. संविदा सहायक ग्रेड–3/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स की उपलब्धता अथवा अन्य कोई समस्या होने पर राज्य समन्वयक, एम.पी.कॉन लिमिटेड कार्यालय के ईमेल आईडी mpconsm@yahoo.com अथवा दूरभाष क्रमांक –0755–4074971 अथवा मोबाईल नं. 9039988704 पर संपर्क किया जा सकता है।
8. इस प्रक्रिया अथवा आबंटन के संबंध में कोई भी जानकारी श्रीमती खुर्शीदा खान, ओ.एस.डी. आई.टी, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. मोबाइल नंबर 9229548959, ईमेल ictdpi@mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

(अभय वर्मा)
आयुक्त
लोक शिक्षण,म0प्र0

पृ.क्रमांक/ क्रमांक/ आई.टी./20–21/149/123 भोपाल, दिनांक 10.12.2021
प्रतिलिपिः–

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
2. समस्त जिला कोषालय/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
3. राज्य समन्वयक, एम.पी.कॉन लिमिटेड, 204, सिद्धार्थ अपार्टमेंट 68 बी, कस्तूरबा नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. स्थानीय वित्त / बजट /लेखा शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (शिक्षा विकासखण्ड) / आहरण संवितरण अधिकारी म.प्र.।
6. समस्त संबंधित प्राचार्य, शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आयुक्त
लोक शिक्षण,म0प्र0